सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2018

कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत : छींतोली, कैम्प दिनांक 21.06.2018

पीठासीन अधिकारी :– मुकेश कुमार मूंड आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 39/2016 दायर तारीख :– 20.05.2016

1. उमराव } पुत्रान छोटू
2. रामकरण
3. रामकुवार
4. श्रवण } पुत्रिया छोटू
5. संती
6. श्रीराम उर्फ श्रीया } पुत्रान गुल्ला
7. नाथू
8. सरती देवी पुत्र गुल्ला
9. सरसा देवी पत्नी भगवाना
10. बनवारीलाल } पुत्रान भगवाना
11. मूलचन्द
12. रामनिवास
13. मक्खन
14. जडी पुत्री भगवाना
16. सरजन } पुत्रान रामपाल
17. ख्यालीराम
18. गोठी } पुत्रियां रामपाल
19. सुप्यार

समस्त जाति गुर्जर निवासी छींतोली तहसील विराटनगर, जयपुर

—— वादीगण

बनाम

1. मालीराम } पुत्रान प्रभू } जाति गुर्जर निवासी छींतोली,
2. कैलाश } तहसील विराटनगर
3. तीजा पत्नी प्रभू
4. छोटी पुत्री प्रभू पत्नी गणपत } जाति गुर्जर निवासी मेहतावाला
5. प्तासी पुत्री प्रभू पत्नी धनसीराम } तहसील बानसूर, जिला अलवर
6. छाताराम पुत्र रामला } जाति गुर्जर निवासी छींतोली
7. हनुमान पुत्र रामला } तहसील विराटनगर, जयपुर
8. आंचकी पत्नी सम्पतराम
9. सहायक अभियन्ता (O&M) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि॰ तहसील विराटनगर
10. उप पंजीयक विराटनगर, तहसील विराटनगर जिला जयपुर।
11. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर

—— प्रतिवादीगण

दावा बाबत दुरूस्ती इन्द्राज घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री आनन्दसिंह शेखावत, अधिवक्ता वादी
श्री रविशंकर अग्रवाल, अधिवक्ता प्रतिवादी सं॰ 6, 7
श्री महेशचन्द मुदगल, अधिवक्ता प्रतिवादी सं॰ 9
पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक 21.06.2018

1. वादीगण ने वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम छींतोली के खसरा नम्बर 2490/0.59 हैक्टेयर भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त उनके बुजुर्गो के समय चला आ रहा है, जिसकी खातेदारी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज रिकार्ड है। हाल खसरा 2490/0.59 हैक्टेयर का साबिक खसरा नम्बर 1891 रकबा 2 बीघा 13 बिसवा ग्राम जयसिंहपुरा रहे है। वादीगण के पूर्वज हाल खसरा नम्बर 2490 साबिक खसरा नम्बर 1891 को इससे लगती हुई अपनी अन्य खातेदारी भूमि के साथ वरवक्त लागू होने टीनेन्सी एक्ट 1955 से भी पहले से काबिज होकर काश्त करते चले आये है तथा वर्तमान में भी वादीगण का कब्जा काश्त है। साबिक खसरा नम्बर 1891 रकबा 2 बीघा 13 बिसवा भूमि पूर्व जागीरदार श्योनारायण सिंह वगैरह की खातेदारी में थी, जो वादीगण के पूर्वजों कब्जे काश्त के विपरीत धापली पत्नी श्योनाथ गुर्जर के नाम गलत दर्ज कर दी गई, जिसका अनुचित फायदा उठाकर सूण्डा पुत्र श्योला ने धापली पत्नी श्योनाथ की जगह खातेदारी अपने नाम दर्ज करवा ली, जबकि धापली नाऔलाद फौत हुई थी, और उसके कोई संतान नहीं थी तथा धापली का वादग्रस्त आराजी पर कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है, न ही सूण्डा पुत्र श्योला या उसके वारिसान प्रतिवादीगण का ही कब्जा काश्त रहा है। वादीगण के कब्जे काश्त खातेदारी के खसरा नम्बर 2504/0.42 हैक्टेयर भूमि से लगता हुआ हाल खसरा नम्बर 2490/0.59 हैक्टेयर भूमि होने एवं दोनो ही नम्बरों पर वादीगण का कब्जा काश्त होने से वादीगण की स्वयं की खातेदारी भूमि होना मानते हुए वादीगण ने उक्त आराजी में 20 वर्ष पहले ही बोरिंग की है, जिसका पहले अल्टीनेटर से चलाते थे, और अब 6–7 वर्ष से बिजली कनेक्शन आने से बिजली से बोरिंग चला रहे हैं। आराजी मुतनाजा पर वादीगण का कब्जा काश्त लागू होने टीनेन्सी एक्ट 1955 के पूर्व से ही कब्जा काश्त रहा है, जिससे रिकार्ड दुरूस्त कराना आवश्यक हुआ है। वादीगण के बुजुर्ग छोटू, गुल्ला, भगवाना पिता नोदा ही वादग्रस्त

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आराजी साबिक खसरा नम्बर 1891 रकबा 2 बीघा 13 बिसवा की काश्त करते थे, जिससे 2012 से 2019, 2020 से 2021 में वादीगण के बुजुर्गो के नाम गिरदावरियों में नाज दर्ज रिकार्ड किया हुआ है। संवत् 2012 से 2015 की गिरदावरियों को रिकार्ड ऑफ राईट माना गया है, जिससे वादीगण खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने के अधिकारी है। अतः निवेदन है कि ग्राम छींतोली के खसरा नम्बर 2490/0.59 हैक्टेयर के हिस्सा 1/3 का वादी संख्या 1 लगायत 5, हिस्सा 1/3 का वादी संख्या 6 लगायत 8 एवं हिस्सा 1/3 का वादी संख्या 9 लगायत 19 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराया जावे साथ ही प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की, किसी भी रूप में, किसी भी माध्यम से दखल नहीं करें।

2. वादपत्र बाद जांच दर्ज पंजिका कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी संख्या 6, 7 जरिए अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा जवाबदावा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 9 जरिए अधिवक्ता उपस्थित। शेष प्रतिवादीगण बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित रहे, एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। पैराकार सरकार उपस्थित।

3. वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल नक्शा ट्रेस, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 59 संवत् 2070–2073, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 12 संवत् 2070–2073, नकल खतौनी बन्दोबस्त संवत् 2012 से 2027, नकल जमाबन्दी (खेवट खतौनी) संवत् 2031–2034, नकल जमाबन्दी (खेवट खतौनी) संवत् 2029–2032, नकल मिलान क्षेत्रफल, नकल जमाबन्दी (खेवट खतौनी) संवत् 2027–2031, नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2014, 2016–2019, 2020–2023, बिजली बिल मार्च 2016 आदि पेश किये।

4. प्रतिवादी संख्या 6, 7 का जवाब रहा कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के पूर्वज प्रभू व प्रतिवादी संख्या 6, 7 आराजी खसरा नम्बर 2490 को अपने–अपने हिस्सानुसार काबिज रहकर काश्त बिना किसी बाधा के कर रहे है, जिससे अन्य किसी का कोई संबंध नहीं है। प्रतिवादी संख्या 7 ने हाल आराजी खसरा नम्बर 2490 के हिस्सा 1/6 मय दीगर खातेदारी भूमि प्रतिवादी संख्या 8 को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान किया है, जिसकी खातेदारी प्रतिवादी संख्या 8 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जा चुकी है। प्रतिवादीगण आराजी खसरा नम्बर 2490 के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है, जिससे वादीगण या अन्य किसी का कोई संबंध

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नहीं है, कानूनन रिकार्डेड खातेदार व परसन इन पजेशन को किसी प्रकार की निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता है। वादीगण प्रस्तुत वाद की आड में हाल खसरा नम्बर 2490 में प्रतिवादीगण के कब्जा व उपयोग उपभोग में बाधा कारित करते हैं एवं जबरन कब्जा कर निर्माण करना चाहते हैं, जिसका उनको कोई हक अधिकार नहीं है। अतः वादीगण व उनके परिवारजन को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे प्रतिवादीगण की आराजी में किसी प्रकार का निर्माण नहीं करें, बल्कि प्रतिवादीगण को शान्तिपूर्वक काबिज रहकर काश्त करने देवें। यह भी कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में घोषणा संबंधी प्रावधानों की पूर्ति नहीं करता है। वादीगण का वाद प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है।

5. प्रतिवादी ने अपने जवाब के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल नक्शा ट्रेस, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 12, 59 संवत् 2070–2073, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जारी अधि प्रमाणित प्रतिलिपि प्रार्थना पत्र मांग अनुबन्धन पत्र, नकल कार्यालय तहसीलदार पत्र दिनांक 14.03.2016, नकल कार्यालय उपखण्ड अधिकारी पत्र दिनांक 18.05.2016, नकल जमाबन्दी (खेवट खतौनी) संवत् 2016, 2019–2022, नकल खतौनी बन्दोबस्त संवत् 2012–2027 आदि पेश किये।
6. वादीगण का जवाबुल जवाब रहा कि वादीगण के बुजुर्ग उक्त आराजी पर वरवक्त लागू होने टीनेन्सी एक्ट 1955 से भी पहले से काबिज होकर काश्त करते चले आये है, तथा वर्तमान में वादीगण का कब्जा काश्त है। वादीगण के बोरिंग एवं उस पर लगा विद्युत कनेक्शन को हटवाने की प्रतिवादीगण ने शिकायत की है, जो प्रत्यक्ष रूप से वादीगण के कब्जे काश्त का सबूत है। धापली पत्नी श्योनाथ, सूण्डा पुत्र श्योला की क्या लगती थी और उसकी जमीन अकेले सूण्डा की खातेदारी में कैसे दर्ज हुई के संबंध में प्रतिवादीगण ने कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है, क्योंकि सूण्डा ने साजपूर्वक अपने नाम खातेदारी दर्ज करवायी है। वादीगण वादग्रस्त आराजी को शुरू से अपने बुजुर्गो की भूमि मानकर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है तथा अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 2504 का भाग मानकर ही बोरिंग व बिजली कनेक्शन करवाया है, यदि प्रतिवादीगण का उक्त भूमि पर कब्जा होता तो बोरिंग करते व बिजली कनेक्शन लेते, बिजली कनेक्शन की लाईन खिंचते समय ही एतराज करते परन्तु प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त नहीं होने कोई एतराज नहीं किया। वादीगण के बुजुर्गो के नाम गिरदावरी उनके कब्जा काश्त के आधार पर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हुई है। प्रतिवादी संख्या 8 रिकार्ड मे ही खातेदार काश्तकार है, अन्यथा में उसे वादग्रस्त आराजी के किस हिस्से मे और किस तरफ कब्जा दिया गया का खुलासा प्रतिवादीगण ने नहीं किया है। अतः निवेदन है कि प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम मय हर्जे–खर्चे खारिज फरमाया जावे।

7. उभय पक्षों के अभिवचनों के आधार पर प्रकरण में तनकियात कायम की गई।
   1. आया साबिक खसरा नम्बर 1891 रकबा 2 बीघा 13 बिसवा भूमि पूर्व जागीरदार श्योनारायण सिंह वगैरह की खातेदारी में दर्ज थी, जो वादीगण के पूर्वजों के कब्जा काश्त के विपरीत धापली पत्नी श्योनाथ के नाम गलत दर्ज कर दी ? –– जिम्मे वादीगण
   2. आया हाल खसरा नम्बर 2490/0.59 हैक्टेयर में वादी संख्या 1 लगायत 5, वादी संख्या 6 लगायत 8 एवं वादी संख्या 9 लगायत 19 बहिस्सा 1/3, 1/3, 1/3 हिस्से की खातेदारी घोषणा के अधिकारी हैं ? –– जिम्मे वादीगण
   3. आया वादीगण, बाद घोषणा प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है ? –– जिम्मे वादीगण
   4. आया वाद वादी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में वर्णित घोषणा संबंधी प्रावधानों की पूर्ति नहीं करता है, वाद खारिज किये जाने योग्य है ? –– जिम्मे प्रतिवादी
   5. आया प्रतिवादीगण हाल खसरा नम्बर 2490 के रिकार्डेड खातेदार है, कानूनन रिकार्डेड खातेदार व परसन इन पजेशन को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता है ? –– जिम्मे प्रतिवादी
   6. आया प्रतिवादीगण हाल खसरा नम्बर 2490 के रिकार्डेड खातेदार एवं परसन इन पजेशन है, प्रतिवादीगण, वादीगण के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं ? –– जिम्मे प्रतिवादी
8. पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट छींतोली में पेश हुई। उपस्थित पक्षकारान को सुना गया। उपस्थित पक्षकारान ने दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया।
9. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। तनकी संख्या 1 लगायत 3 को साबित करने का भार वादीगण पर रहा, मुताबिक खतौनी बन्दोबस्त संवत् 2012 आराजी साबिक खसरा नम्बर 1891 रकबा 2 बीघा 13 बिसवा की खातेदारी श्योनारायण सिंह वगैरह के नाम दर्ज रिकार्ड रही है तथा नाम कृषक कॉलम संख्या 5 में दापली पत्नी श्योनाथ का नाम दर्ज

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

रिकार्ड है। साबिक खसरा नम्बर 1891 की खातेदारी धापली के नाम उसके कब्जे काश्त के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की गई तत्पश्चात उक्त भूमि पर सूण्डा के कब्जे काश्त तथा हक अधिकार के अन्तर्गत मृतक धापली का वारिस होने के नाम सही रूप में दर्ज हुई है। पत्रावली में प्रस्तुत मिलान क्षेत्रफल अनुसार उक्त साबिक खसरा नम्बर से हाल खसरा नम्बर 2490/0.59 हैक्टेयर, कायम कर खातेदारी प्रतिवादीगण नाम दर्ज रिकार्ड की गई। प्रतिवादी संख्या 7 ने हाल आराजी खसरा नम्बर 2490 के हिस्सा 1/6 भूमि प्रतिवादी संख्या 8 को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान किया है, जिसकी खातेदारी प्रतिवादी संख्या 8 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जा चुकी है। प्रतिवादीगण आराजी खसरा नम्बर 2490 के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है, जिससे वादीगण या अन्य किसी का कोई संबंध नहीं है, कानूनन रिकार्डेड खातेदार व परसन इन पजेशन को किसी प्रकार की निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता है। प्रतिवादी ने अपने जवाब समर्थन में नकल जमाबन्दी (खेवट खतौनी) संवत् 2016, 2019–2022, नकल खतौनी बन्दोबस्त संवत् 2012–2027 पेश किये जो राजस्व अभिलेख है तथा प्रतिवादीगण के तथ्यों की पुष्टि करते हैं। वादीगण के बुजुर्ग छोटू, गुल्ला, भगवाना का साबिक खसरा नम्बर 1891 रकबा 2 बीघा 13 बिसवा या इसके किसी भी भाग पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है, एवं न ही संवत् 2012 से 2019, 2020 व 2021 की गिरदावरियों में कोई नाम दर्ज रहा है, यह भी कि गिरदावरी रिकार्ड आफ राइट की श्रेणी में नहीं आती है एवं न ही इस आधार पर वादीगण को कोई खातेदारी अधिकार सृजित होते है। प्रस्तुत दस्तावेजात से पूर्णतः स्पष्ट है कि आराजी मुतनाजा सम्पूर्ण पर वरवक्त लागू होने टीनेन्सी एक्ट धापली पत्नी श्योनाथ के साथ प्रतिवादीगण का बुजुर्ग सूण्डा पुत्र श्योला काबिज काश्त है तथा उसके पश्चात प्रतिवादीगण काबिज काश्त रहे है। जहां तक तनकी संख्या 4 लगायत 6 का प्रश्न है, इनको साबित करने का भाग प्रतिवादीगण पर रहा है। प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा के वर्तमान में रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है तथा परसन इन पजेशन है, जिनको किसी प्रकार की निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता है। वादीगण प्रस्तुत वाद की आड में हाल खसरा नम्बर 2490 में प्रतिवादीगण के कब्जा व उपयोग उपभोग में बाधा कारित करते हैं एवं जबरन कब्जा कर निर्माण करना चाहते हैं, जिसका उनको कोई हक अधिकार नहीं है। अतः वादीगण व उनके परिवारजन को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायसंगत पाता हूॅ कि प्रतिवादीगण की आराजी में किसी प्रकार का

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्माण नहीं करें, बल्कि प्रतिवादीगण को शान्तिपूर्वक काबिज रहकर काश्त करने देवें। यह भी कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में घोषणा संबंधी प्रावधानों की पूर्ति नहीं करता है। वादीगण का वाद प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

वादी का वादपत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है तथा प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर, वादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि प्रतिवादीगण के खसरा नम्बर 2490/0.59 हैक्टेयर के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की दखल नहीं करें। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय मजमा–ए–आम कैम्प कोर्ट छींतोली दिनांक 21.06.2018 को सुनाया गया।

(मुकेश कुमार मूंड) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

डिक्री मुकदमा इबतदाई (ओ. 20 रूल 6 व 7 जा. दीवानी)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी मुकाम राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत : छींतोली दिनांक 21.06.2018

बइजलास :– मुकेश कुमार मूंड आर.ए.एस.

1. उमराव
2. रामकरण } पुत्रान छोटू
3. रामकुवार
4. श्रवण } पुत्रिया छोटू
5. संती
6. श्रीराम उर्फ श्रीया } पुत्रान गुल्ला
7. नाथू
8. सरती देवी पुत्र गुल्ला
9. सरसा देवी पत्नी भगवाना
10. बनवारीलाल } पुत्रान भगवाना
11. मूलचन्द
12. रामनिवास
13. मक्खन
14. जडी पुत्री भगवाना
16. सरजन } पुत्रान रामपाल
17. ख्यालीराम
18. गोठी } पुत्रियां रामपाल
19. सुप्यार

समस्त जाति गुर्जर निवासी छींतोली तहसील विराटनगर, जयपुर

—— वादीगण

बनाम

1. मालीराम } पुत्रान प्रभू } जाति गुर्जर निवासी छींतोली,
2. कैलाश } तहसील विराटनगर
3. तीजा पत्नी प्रभू
4. छोटी पुत्री प्रभू पत्नी गणपत } जाति गुर्जर निवासी मेहतावाला
5. प्तासी पुत्री प्रभू पत्नी धनसीराम } तहसील बानसूर, जिला अलवर
6. छाताराम पुत्र रामला } जाति गुर्जर निवासी छींतोली
7. हनुमान पुत्र रामला } तहसील विराटनगर, जयपुर
8. आंचकी पत्नी सम्पतराम
9. सहायक अभियन्ता (O&M) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि॰ तहसील विराटनगर
10. उप पंजीयक विराटनगर, तहसील विराटनगर जिला जयपुर।
11. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर

—— प्रतिवादीगण

मुकद्मा नम्बर/नजरसानी संख्या 39/2016 **दावा बाबत दुरूस्ती इन्द्राज, घोषणा खातेदारी हक एवं स्थायी निषेधाज्ञा** यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतैई रूबरू **श्री आनन्दसिंह शेखावत एडवोकेट** व हाजरी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

.....मिन जानिब मुद्दई रूबरू **श्री रविशंकर अग्रवाल एडवोकेट प्रतिवादी संख्या 6, 7 एवं श्री महेशचन्द मुदगल एडवोकेट प्रतिवादी संख्या 9 व पैरोकार सरकार** कार्यवाही मिन जानिब मुदामलह पेश होकर निवेदन किया कि ग्राम छींतोली के खसरा नम्बर 2490/0.59 हैक्टेयर के हिस्सा 1/3 का वादी संख्या 1 लगायत 5, हिस्सा 1/3 का वादी संख्या 6 लगायत 8 एवं हिस्सा 1/3 का वादी संख्या 9 लगायत 19 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराया जावे साथ ही प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की, किसी भी रूप में, किसी भी माध्यम से दखल नहीं करें।

राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट छींतोली में मजमा–ए–आम उपस्थित पक्षकारान को सुना गया। वाद वादी दस्तावेजी साक्ष्य से साबित नहीं है। **अतः हुक्म दिया जाता है कि** वादी का वादपत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है तथा प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर, वादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि प्रतिवादीगण के खसरा नम्बर 2490/0.59 हैक्टेयर के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की दखल नहीं करें। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय मजमा–ए–आम कैम्प कोर्ट छींतोली दिनांक 21.06.2018 को सुनाया गया।

(मुकेश कुमार मूंड) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

मुबलिक .....शून्य..... बाबत .....शून्य..... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरत .....शून्य..... की सदी सलाना आज की तारीख बसूलयाबी तक .....शून्य..... का अदा करें। सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज **तारीख 21.06.2018** को जारी की गई।

(मुकेश कुमार मूंड)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मुद्दई	रूपया	मुद्दायलह	रूपया
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प बजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा मुतजरिक	
मीजान	शून्य	मीजान	शून्य

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया। फीस की आ सीसे दर्ज करना चाहिए।

(मुकेश कुमार मूंड)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर